BHARAT ELECTRONICS LIMITED
CORPORATE OFFICE
OUTER RING ROAD, NAGAWARA, BENGALURU

का.आ.सं. Office Order No. HO/015/001 **दिनांक / Date: 12.03.2024**

विषय - महत्वपूर्ण सहायक कंपनियां तय करने की नीति
Sub: Policy for Determining Material Subsidiaries

1.0 परिचय / Introduction

1.1 यह नीति भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ("बीईएल/कंपनी") की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियां तय करने और ऐसी सहायक कंपनियों में गवर्नेंस प्रणाली प्रदान करने के लिए सेबी (सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 (जिसे यहां इसके बाद "सेबी सूचीबद्धता विनियम" कहा गया है) के विनियम 16 में की गई अपेक्षाओं के अनुसार तैयार की गई है।
This Policy is formulated in pursuance of the requirements of Regulation 16 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") to determine the Material Subsidiary of Bharat Electronics Limited ("BEL/Company") and to provide a governance mechanism for such Subsidiaries.

1.2 इस नीति में प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियां, जब तक कि यहां इसके बाद परिभाषित न हों, का अर्थ वही होगा जो सेबी सूचीबद्धता विनियम के तहत उन्हें दिया गया है और यदि वहां इसकी परिभाषा और अभिव्यक्ति न दी गई हो तो उनका अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत समय-समय पर बनाए गए / जारी नियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों के अनुसार होगा।
All the words and expressions used in this Policy, unless defined hereafter, shall have meaning respectively assigned to them under the SEBI Listing Regulations and in the absence of its definition or explanation therein, as per the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules, Notifications and Circulars made/issued thereunder, as amended, from time to time.

1.3 इस नीति को 27 मई, 2016 को मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था और आगे के संशोधन 27 जुलाई, 2023 को हुई मंडल की बैठक में अनुमोदित किए गए।
The Policy was approved by the Board on 27th May, 2016 and further amendments were approved in the Board meeting held on 27th July, 2023

2.0 परिभाषाएं / Definitions

2.1 **"लेखापरीक्षा समिति"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 18 और सीपीएसई के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित समिति से है।
"Audit Committee" means the Committee constituted by the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013, Regulation 18 of SEBI Listing Regulations and DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs.

2.2 **"महत्वपूर्ण सहायक कंपनी"** का अर्थ, विनियम 16(1)(सी) के संदर्भ में, बीईएल और उसकी सहायक कंपनियों की एक ऐसी सहायक कंपनी से है जिसकी आय या निवल मालियत ठीक पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में उसकी क्रमश: समेकित आय या निवल मालियत के दस प्रतिशत (10%) से अधिक हो।
"Material Subsidiary" means, in terms of Regulation 16(1)(c), a Subsidiary, whose income or net worth exceeds ten percent (10%) of the consolidated income or net worth respectively, of BEL and its Subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

2.3 **"निवल मालियत"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (57) में यथा परिभाषित निवल मालियत से है।
"Net Worth" means net worth as defined in Section 2 (57) of the Companies Act, 2013.

2.4 **"महत्वपूर्ण लेनदेन या व्यवस्था"** का अर्थ ऐसे किसी एक लेनदेन या व्यवस्था से होगा जो ठीक पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में असूचीबद्ध सहायक कंपनी के कुल राजस्व या कुल व्यय या कुल परिसंपत्तियों या कुल देयताओं, जैसा मामला हो, से 10% से अधिक होता है या होने की संभावना हो।
"Significant Transaction or Arrangement" shall mean any individual transaction or arrangement that exceeds or is likely to exceed 10% of the total revenues or total expenses or total assets or total liabilities, as the case may be, of the unlisted subsidiary for the immediately preceding accounting year.

2.5 **"असूचीबद्ध सहायक कंपनी"** का अर्थ ऐसी सहायक कंपनी से है जिसकी प्रतिभूतियां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।
"**Unlisted Subsidiary**" means subsidiary whose securities are not listed on any recognized Stock Exchanges.

3.0 नीति और प्रक्रिया / Policy and Procedure

3.1 कंपनी के कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के मंडल में निदेशक होंगे चाहे ऐसी कंपनी भारत में निगमित हो या न हो।
At least one Independent Director of the Company shall be a Director on the Board of the unlisted material subsidiary whether incorporated in India or not.

स्पष्टीकरण - केवल इस प्रावधान के प्रयोजनार्थ, विनियम 16 (1) (सी) में इसके विपरीत किसी बात के होने पर भी, पदबंध "महत्वपूर्ण सहायक कंपनी" का अर्थ ऐसी सहायक कंपनी से होगा जिसकी आय या निवल मालियत ठीक पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में सूचीबद्ध संस्था या उसकी सहायक कंपनियों की क्रमश: समेकित आय या निवल मालियत के बीस प्रतिशत (20%) से अधिक हो।
Explanation: Only for the purposes of this provision, notwithstanding anything to the contrary contained in regulation 16 (1) (c), the term "material subsidiary" shall mean a subsidiary, whose income or net worth exceeds twenty percent (20%) of the consolidated income or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

3.2 लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों, विशेषकर कंपनी की असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेश की भी समीक्षा करेगी।
The Audit Committee shall also review the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary of the Company.

3.3 असूचीबद्ध कंपनी की मंडल की बैठकों के कार्यसूची नियमित अंतराल में कंपनी की मंडल की बैठकों में रखी जाएगी।
The minutes of the Board meetings of the unlisted subsidiary company shall be placed at the Board meeting of the Company at regular intervals.

3.4 मंडल को असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेनों और व्यवस्थाओं के विवरण आवधिक रूप से प्रदान किए जाएंगे।
The Board shall be provided periodically with a statement of all significant transactions and arrangements entered into by the unlisted subsidiary Company.

3.5 कंपनी सामान्य बैठक में विशेष संकल्प द्वारा सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपनी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के ऐसे शेयरों का निपटान नहीं करेगी जिससे उसका (स्वयं उसका या अन्य सहायक कंपनियों के साथ मिलकर) शेयरधारण 50% से कम होता हो या ऐसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण समाप्त होता हो सिवाय ऐसे मामलों के जहां ऐसा निवेश किसी न्यायालय / ट्रिब्यूनल द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था योजना के तहत किया जाता हो या दिवालियापन संहिता की धारा 31 के तहत विधिवत अनुमोदित संकल्प योजना के तहत किया जाता हो तथा ऐसी

घटना को अनुमोदित की जा रही संकल्प योजना के एक दिन के भीतर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा।
The Company, shall not, without the prior approval of the members by Special Resolution in the General Meeting, dispose of shares in its Material Subsidiary which would reduce its shareholding (either on its own or together with other Subsidiaries) to less than 50% or cease the exercise of the control over the Subsidiary except in cases where such divestment is made under a scheme of arrangement duly approved by a Court / Tribunal or under a resolution plan duly approved under section 31 of the Insolvency Code and such an event is disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.

3.6 कंपनी विशेष संकल्प द्वारा सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना, वित्त वर्ष में समेकित आधार पर ऐसी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की 20% से अधिक परिसंपत्तियों का विक्रय, निपटान या पट्टे पर नहीं देगी जब तक कि ऐसा विक्रय / निपटान / पट्टे पर दिया जाना किसी न्यायालय / ट्रिब्यूनल द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था योजना के तहत किया जाता हो या दिवालियापन संहिता की धारा 31 के तहत विधिवत अनुमोदित संकल्प योजना के तहत किया जाता हो तथा ऐसी घटना को अनुमोदित की जा रही संकल्प योजना के एक दिन के भीतर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा।
The Company, shall not, without the prior approval of the members by Special Resolution, sell, dispose and lease the assets amounting to more than 20% of the assets of the Material Subsidiary on an aggregate basis during a financial year unless the sale/disposal/lease is made under a scheme of arrangement duly approved by a Court / Tribunal or under a resolution plan duly approved under Section 31 of the Insolvency Code and such an event is disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.

4.0 प्रकटण / Disclosure

4.1 कंपनी अधिनियम तथा सूचीबद्धता संकल्पों में की गई अपेक्षा अनुसार इस नीति के विवरण अपने मंडल की रिपोर्ट में प्रकट करेगी। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की जाएगी और इसका वेब लिंक मंडल की रिपोर्ट में दिया जाएगा।
The Company shall disclose in its Board's report, details of this Policy as required under the Act and the Listing Regulations. This Policy shall be disclosed on the Company's website and a web link thereto shall be provided in the Board's report.

4.2 कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों में बताई गई आवश्यकता अनुसार, बीईएल की सहायक कंपनी से संबंधित समुचित प्रकटण कंपनी द्वारा किया जाएगा।
Adequate disclosure pertaining to the Subsidiary Companies of BEL, as maybe required under the provisions of Companies Act, 2013, SEBI Listing Regulations, 2015, and DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, shall be made by the Company.

5.0 परिसीमन और संशोधन / Limitation and Amendment

5.1 इस नीति तथा अधिनियम या सूचीबद्धता विनियमों या किसी अन्य सांविधिक अधिनियमन, नियमों के प्रावधानों में कोई संघर्ष होने पर, ऐसे अधिनियम या सूचीबद्धता विनियमों या सांविधिक अधिनियमन, नियमों के प्रावधान इस नीति पर लागू होंगे। सूचीबद्धता विनियम, अधिनियम तथा / या इस संबंध में लागू कानून में कोई उत्तरवर्ती संशोधन / आशोधन आवश्यक परिवर्तनों सहित इस नीति पर लागू होंगे।
In the event of any conflict between the provisions of this Policy and of the Act or Listing Regulations or any other statutory enactments, rules, the provisions of such Act or Listing Regulations or statutory enactments, rules shall prevail over this Policy. Any subsequent amendment / modification in the Listing Regulations, Act and/or applicable laws in this regard shall be mutatis mutandis apply to this Policy.

6.0 प्रभावी तिथि और समीक्षा / Effective Date & Review

6.1 यह संशोधित नीति 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी और समय-समय पर निदेशक मंडल की समीक्षा के अधीन होगी।
The amended Policy shall be effective from 1st April, 2024 and is subject to review by the Board of Directors from time to time.

दिव्येन्दु विद्यार्थी
Adyarth

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
GENERAL MANAGER (HR)

ई.डी. / जी.एम. / सी.टी.ओ. / सी.एस.	**EDs / GMs / CTOs / CS**
यूनिट एच.आर. / वित्त प्रमुख	**UNIT HR / FINANCE HEADS**
आर.ओ. / एम.सी. प्रमुख	**RO / MC HEADS**

सीएमडी	डी (ओ यू)	डी (आर एंड डी)	डी (एफ)	डी (एच आर)	डी (मार्केटिंग)	डी (बी सी)	सीवीओ
CMD	D (OU)	D (R&D)	D (F)	D (HR)	D (MKTG)	D (BC)	CVO